न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—248/2015/223 (2015/00316)

1. मदनगोपाल पुत्र नन्दलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती रूकमणी पत्नि स्व0 मदनगोपाल,
   1/2— रमेशचन्द पुत्र स्व0 मदनगोपाल,
   1/3— सुरेशचन्द पुत्र स्व0 मदनगोपाल,
   1/4— श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री स्व0 मदनगोपाल,
   1/5— शशीप्रभा पुत्री स्व0 मदनगोपाल,
   1/6— घनश्याम पुत्र स्व0 मदनगोपाल,
   1/7— विजयकान्ता पुत्री स्व0 मदनगोपाल,
   समस्त जाति महाजन, नि0 बडगांव, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. भंवरलाल पुत्र नन्दलाल, जाति महाजन (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— माया देवी पुत्री स्व0 भंवरलाल,
3. ज्ञानचंद पुत्र नन्दलाल,
   समस्त जाति महाजन, नि0 बड़गांव, तह0 व जिला अजमेर ।
4. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 5.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 180/1997.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री जयसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 2/1 एवं 3.
4. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 29.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़गांव स्थित खसरा नंबर 356 रकबा 4—13—10 भूमि वादीगण की पुश्तैनी आराजियात है जो कि राजस्व अभिलेखों में नंदलाल पुत्र सुखलाल की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है । उक्त विवादित भूमि पुश्तैनी होने से बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है लेकिन भू—प्रबंध विभाग ने वादी को धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत बिना नोटिस दिये विवादित आराजी सिवायचक दर्ज कर दी । इस कारण वादी के पक्ष में अधिकारों

की घोषणा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद दिनांक 26.3.2004 को खारिज करने के आदेश पारित किये । इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा हाजा न्यायालय में अपील पेश की गई जिसे हाजा न्यायालय ने निर्णय दिनांक 6.7.2006 के द्वारा स्वीकार कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि पक्षकार को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करे । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 की वादी ने वादपत्र में कथन किया कि ग्राम बड़गांव स्थित आराजी नंदलाल पुत्र सुखलाल की खातेदारी एवं काबिज काश्त होने से तथा भू–प्रबधं अधिकारी का पर्चा एवं पासबुम में अकन है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में सिवायचक दर्ज की गई है जो दुरूस्त की जावे । किन्तु उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का वाद केवल मात्र इस आधार पर खारिज किया है कि भू–संशोधन की समस्त कार्यवाही निरस्त की गई है जो वादी को कोई मदद नहीं करते है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी हक प्राप्त नहीं होते है तथा वादी को निर्देशों के बावजूद अपने भाईयों का पक्षकार नहीं बनाया गया है के आधार पर तनकी संख्या 1 का निर्णय पारित किया है जबकि वादी द्वारा वाद के समर्थन में राजस्व रिकार्ड भू–प्रबंध अधिकारी का खातेदारी पर्चा एवं पासबुक प्रस्तुत की थी तथा अपने भाईयों को भी पक्षकार बनाया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादी साक्ष्य नहीं ली तथा राजस्व रिकार्ड की अनदेखी करते हुए तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की है जो निरस्त योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि वादीगण को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर प्रकरण कैम्प सेदरिया में दस्तावेज प्रदर्श कराये बिना निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने वादी के प्रकरण को कैम्प सेदरिया में रखकर अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वाद खारिज किया है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम सूचना दिनांक 18.9.2015 को होने पर अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 21.9.2015 को प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। वादीगण विवादित आराजियात की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । वर्तमान में विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 4 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज हो चकी है।

अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी सिवायचक होने से रेस्पो0 संख्या 4 को हस्तातंरित की गई है। विवादित आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद बिन्दू पर किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का कथन है कि अधी0न्याया0 ने वाद को कैम्प कोर्ट सेदरिया में रखकर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रदर्श कराये बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष नियत दिनांक 13.5.2015 को पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.7.2015 नियत की गई थी किन्तु उक्त नियत दिनांक से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 5.6.2015 को कैम्प सेदरिया में नियत कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है । प्रकरण को कैम्प कोर्ट सेदरिया में रखे जाने के संबंध में वादीगण/अपीलांटस को नोटिस/सम्मन दिया जाना पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट नहीं होता है जबकि प्रकरण को कैम्प में रखे जाने के संबंध में वादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन सूचित किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर